

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 10)

[7 अप्रैल, 2017]

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं के लिए,
और मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं के परिदान के दौरान ऐसे व्यक्तियों के
अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और उनको पूरा करने तथा
उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक

विषयों का उपबंध

करने के लिए

अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में 13 दिसम्बर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों के विषय में अभिसमय और उसके वैकल्पित प्रोटोकाल को अंगीकार किया गया था और वह 3 मई 2008 को प्रवृत्त हुआ था;

और भारत ने 1 अक्टूबर, 2007 को उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन किया ;

और विद्यमान विधियों को उक्त अभिसमय के अनुरूप और सुमेलित करना आवश्यक है ;

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम 2017

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; या उस तारीख से जिसको मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के पूरा होने पर प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं - (1) इस अधिनियम में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अग्रिम निदेश" से धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निदेश अभिप्रेत है ;

(ख) "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है, --

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसका कोई विधान-मंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट स्थापन से भिन्न, --

(अ) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, राज्य सरकार ;

(आ) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार;

(ग) “प्राधिकरण” से, यथास्थिति, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) “बोर्ड” से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ड) “देख-रेख कर्ता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के साथ रहता है और उस व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके अंतर्गत नातेदार या कोई अन्य व्यक्ति भी है, जो इस कृत्य का या तो निःशुल्क या पारिश्रमिक के साथ पालन करता है ;

(च) “केन्द्रीय प्राधिकरण” से धारा 33 के अधीन गठित केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) “नैदानिक मनोविज्ञानी” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास –

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित और मान्यताप्राप्त किसी संस्था से नैदानिक मनोविज्ञान की मान्यताप्राप्त अर्हता हो ; या

(ii) मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जो नैदानिक मनोविज्ञान या आयुर्विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान में मास्टर ऑफ फिलोसफी हो, जो उसने दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) द्वारा अनुमोदित और मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यताप्राप्त अर्हताएं, जो विहित की जाएं, भी हैं, पूरा करने के पश्चात प्राप्त की है ;

(ज) “कुटुंब” से व्यक्तियों का कोई ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो रक्त, दत्तक या विवाह द्वारा सम्बन्धित है ;

(झ) “अवगत सहमति” से किसी विनिर्दिष्ट मध्यक्षेप के लिए दी गई ऐसी सहमति अभिप्रेत है जो किसी बल, अनुचित प्रभाव, कपट, धमकी, भूल या दुर्घटनाकारी के बिना और व्यक्ति को, व्यक्ति द्वारा समझी जाने वाली भाषा और रीति में विनिर्दिष्ट मध्यक्षेप की पर्याप्त जानकारी, जिसके अन्तर्गत उसके जोखिम और फायदे भी हैं, और उसके अनुकूल्यों को प्रकट करने के पश्चात अभिप्राप्त की है ;

(ज) “न्यूनतम निर्बधनात्मक अनुकूल्य” या “न्यूनतम निर्बधात्मक वातावरण” या “न्यून निर्बधनात्मक विकल्प” से उपचार के लिए कोई विकल्प देना या उपचार के लिए कुछ ऐसा नियत करना अभिप्रेत है, जो –

(i) व्यक्ति की उपचार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो ; और

(ii) व्यक्ति के अधिकारों पर न्यूनतम निर्बधन अधिरोपित करता हो ;

(ट) “स्थानीय प्राधिकारी” से कोई नगर निगम या नगरपालिक परिषद या जिला परिषद, या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस भी नाम से जात हो और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकरण या निकाय भी हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य स्थापन पर प्रशासनिक नियंत्रण है या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नगर या शहर या ग्राम में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कृत्य करने के लिए सशक्त हैं, अभिप्रेत है ;

(ठ) “मजिस्ट्रेट” से अभिप्रेत है, --

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (ट) के अर्थ के अंतर्गत किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर मजिस्ट्रेट ;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त करे ;

(ड) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, “भारसाधक चिकित्सा अधिकारी” से ऐसा मनश्चिकित्सक या चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जो तत्समय उस मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक है ;

(ढ) “चिकित्सा व्यवसायी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास ऐसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, जो –

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा के खंड (ट) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है ; या

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा की उपधारा (1) के खंड (ज) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में दर्ज किया गया है ; या

(iii) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा की उपधारा (1) के खंड (झ) में यथा परिभाषित, राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज किया गया है ;

(ण) “मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख” के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण और निदान तथा ऐसे व्यक्ति का, उसकी किसी मानसिक रूग्णता या आशंकित मानसिक रूग्णता के लिए उपचार और देख-रेख तथा पुनर्वास भी है ;

(त) “मानसिक स्वास्थ्य स्थापन” से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्थापन, चाहे वह किसी भी नाम से जात हो, सहित कोई ऐसा स्वास्थ्य स्थापन अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख के लिए समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, न्यास, चाहे प्राइवेट हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसायटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या अनुरक्षित किया गया है, जहां मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति देख-रेख, उपचार, स्वास्थ्य लाभ और पुनर्वासन के लिए, अस्थायी रूप से या अन्यथा भर्ती किए जाते हैं और रहते हैं या रखे जाते हैं; और इसके अंतर्गत समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, न्यास, चाहे प्राइवेट हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसाइटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित साधारण अस्पताल या साधारण परिचर्या गृह भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत कुटुंबी निवास स्थान नहीं हैं जहां मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति अपने नातेदारों या मित्रों के साथ निवास करता है ;

(थ) “मानसिक स्वास्थ्य नर्स” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48) के अधीन स्थापित भारतीय नर्स परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त साधारण परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री या मनश्चिकित्सीय परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री है और वह राज्य में की सुसंगत नर्स परिषद् में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(द) “मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक” से अभिप्रेत है, --

(i) खंड (भ) में यथा परिभाषित कोई मनश्चिकित्सक ; या

(ii) धारा 55 के अधीन संबद्ध राज्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई वृत्तिक ; या

(iii) कोई ऐसा वृत्तिक जिसके पास मनोविज्ञान एवं मानस रोग में स्नातकोत्तर डिग्री (आयुर्वेद) या मनोरोग-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (होम्योपैथी) या मौलिजत (नफासियत) में स्नातकोत्तर डिग्री (यूनानी) या सिरापू मारुथुवम में स्नातकोत्तर डिग्री (सिद्ध) है ;

(ध) “मानसिक रूग्णता” से चिन्तन, मनःस्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है ;

(न) “अवयस्क” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

(प) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तदनुसार “अधिसूचित” पद का अर्थ लगाया जाएगा ;

(फ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ब) “मानसिक रूग्णता से ग्रस्त बंदी” से मानसिक रूग्णता से ग्रस्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अपराध का विचारणाधीन है या जिसे सिद्धदोष ठहराया गया है और किसी जेल या कारागार में निरुद्ध है ;

(भ) “मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में मास्टर ऑफ़ फिलोसोफी हो जो उसने दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यताप्राप्त अहताएं जो विहित की जाएं, भी हैं, पूरा करने के पश्चात् प्राप्त की हों ;

(म) “मनश्चिकित्सक” से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई या मान्यताप्राप्त और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची में सम्मिलित या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मनश्चिकित्सा की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा है और इसके अंतर्गत किसी राज्य के संबंध में कोई ऐसा चिकित्सा अधिकारी भी है जिसको उस राज्य की सरकार ने मनश्चिकित्सा में उसके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मनश्चिकित्सक घोषित कर दिया है ;

(य) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(यक) “नातेदार” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका मानसिक रूग्ण व्यक्ति से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण के आधार पर कोई नाता है ;

(यख) “राज्य प्राधिकरण” से धारा 45 के अधीन स्थापित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970

(1970 का 48) में परिभाषित हैं और इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में उनके हैं।

अध्याय 2

मानसिक रूग्णता और मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी

विनिश्चय करने की क्षमता

3. मानसिक रूग्णता का अवधारण -- (1) मानसिक रूग्णता का अवधारण ऐसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत चिकित्सा मानकों (जिसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन का रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण भी है) के अनुसार किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

(2) कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो मानसिक रूग्णता के उपचार या ऐसे अन्य विषयों से, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत आते हैं, सीधे सम्बन्धित हैं, किसी व्यक्ति को मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा।

(3) किसी व्यक्ति की मानसिक रूग्णता का अवधारण, --

(क) व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक प्रास्थिति या किसी सांस्कृतिक, जातिगत या धार्मिक समूह की सदस्यता या किसी अन्य ऐसे कारण के लिए, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य स्तर से सीधे सुसंगत नहीं है;

(ख) किसी व्यक्ति के समुदाय में वियमान नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कर्मों या राजनैतिक मूल्यों या धार्मिक विश्वासों के विरोध,

के आधार पर नहीं किया जाएगा।

(4) यद्यपि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में पूर्व उपचार या भर्ती किया जाना, व्यक्ति की मानसिक रूग्णता का किसी मौजूदा या भावी अवधारण के लिए सुसंगत होगा किन्तु अपने आप में न्यायोचित नहीं होगा।

(5) किसी व्यक्ति की मानसिक रूग्णता के अवधारण में केवल यह विवक्षित नहीं होगा या उसकायह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि व्यक्ति विकृतचित्त का है, जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस रूप में घोषित न कर दिया गया हो।

4. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता--(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति भी है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में विनिश्चय करने की क्षमता रखने वाला समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास –

(क) उस जानकारी को समझने की योग्यता है, जो उपचार या भर्ती या वैयक्तिक सहायता के विषय में विनिश्चय करने के लिए सुसंगत है; या

(ख) उपचार या भर्ती या वैयक्तिक सहायता के विषय में किसी विनिश्चय या विनिश्चय न करने के परिणामों को युक्तियुक्त रूप से पहले से ही ठीक-ठीक समझने की योग्यता है; या

(ग) उपर्युक्त (क) के अधीन विनिश्चय को वाक्, अभिव्यक्ति, संकेत या किसी अन्य माध्यम से संसूचित करने की योग्यता है।

(2) किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसी सरल भाषा, जिसे ऐसा व्यक्ति समझता हो या उसे सूचना को समझने हेतु समर्थ बनाने के लिए सांकेतिक भाषा या वैश्य सामग्री या अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए दी जाएगी।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में कोई ऐसा विनिश्चय किया है जो अन्य व्यक्तियों को अनुपयुक्त या अनुचित प्रतीत हो, वहां जब तक कि व्यक्ति के पास उपधारा (1) के

अधीन मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार की क्षमता है तब तक उसका स्वतः ही यह अर्थ नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता नहीं है।

अध्याय 3

अग्रिम निदेश

5. अग्रिम निदेश-- (1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो अवयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से किन्हीं या सभी को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में अग्रिम निदेश करने का अधिकार होगा :--

(क) ऐसा उपाय जिसकी कोई व्यक्ति किसी मानसिक रुग्णता हेतु देख-रेख और उपचार के लिए वांछा करता है ;

(ख) ऐसा उपाय जिसकी कोई व्यक्ति किसी मानसिक रुग्णता हेतु देख-रेख और उपचार के लिए वांछा नहीं करता है ;

(ग) पूर्ववर्तिता के क्रम में व्यक्ति, जिसे या जिन्हें वह धारा 14 के अधीन यथा उपबंधित अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में, नियुक्त करना चाहता है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई अग्रिम निदेश, उसकी पूर्व मानसिक रुग्णता या उसके लिए उपचार को विचार में लाए बिना किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी अग्रिम निदेश का अवलंब केवल तभी लिया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता पुनः प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा उस समय किया गया कोई विनिश्चय जब वह मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने के लिए सक्षम था, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पूर्वतन लिखित अग्रिम निदेश पर अभिभावी होगा ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रतिकूल किया गया कोई अग्रिम निदेश आरंभ से ही शून्य होगा ।

6. अग्रिम निदेश करने की रीति – कोई अग्रिम निदेश ऐसी रीति में किया जाएगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. ऑनलाइन रजिस्टर का रखा जाना –प्रत्येक बोर्ड, उसके पास रजिस्ट्रीकृत सभी अग्रिम निदेशों का, धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऑनलाइन रजिस्टर रखेगा और उसे जब कभी अपेक्षित हो, संबंधित मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों को उपलब्ध कराएगा ।

8. अग्रिम निदेशों का प्रतिसंहरण, संशोधन या रद्दकरण—(1) धारा 6 के अधीन किया गया कोई अग्रिम निदेश किसी समय उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे किया है, प्रतिसंहत, संशोधित या रद्द किया जा सकेगा ।

(2) अग्रिम निदेश के प्रतिसंहरण, संशोधन या रद्द करने की प्रक्रिया धारा 6 के अधीन कोई अग्रिम निदेश करने की प्रक्रिया के समान होगी ।

9. आपात उपचार पर अग्रिम निदेश का लागू न होना—किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने अग्रिम निदेश किया है, धारा 103 के अधीन दिए गए आपात उपचार पर अग्रिम निदेश लागू नहीं होगा ।

10. अग्रिम निदेश का अनुसरण करने का कर्तव्य – धारा 11 के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति का उपचार करने वाले किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के प्रत्येक भारसाधक चिकित्सा अधिकारी और भारसाधक मनश्चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि वह मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को उसके विधिमान्य अग्रिम निदेश के अनुसार उपचार का प्रस्ताव करे या उपचार करे ।

11. अग्रिम निदेश का पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण या रद्द करने की शक्ति – (1) जहां मानसिक रूग्णता वाले व्यक्ति के उपचार के दौरान किसी व्यक्ति का कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या कोई नातेदार या कोई देख-रेख कर्ता किसी अग्रिम निदेश का अनुसरण नहीं करना चाहता है वहां व्यक्ति का ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या नातेदार या देख-रेख कर्ता संबंध बोर्ड को अग्रिम निदेश का पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर सभी संबंधित पक्षकारों (जिनके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसका अग्रिम निदेश प्रश्नगत है) को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, या तो अग्रिम निदेश को कायम रखेगा या उसे उपांतरित या परिवर्तित या रद्द कर देगा, अर्थात् :–

(क) क्या व्यक्ति द्वारा अग्रिम निदेश उसकी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से और बल, असम्यक् असर या प्रपीड़न से मुक्त होकर किया गया था ; या

(ख) क्या व्यक्ति का, ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में, जो प्रत्याशित परिस्थिति से भिन्न हों, अग्रिम विनिश्चय लागू करने का आशय था ; या

(ग) क्या व्यक्ति को ऐसा विनिश्चय करने के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था ; या

(घ) जब ऐसा अग्रिम निदेश किया गया था तब क्या व्यक्ति अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए सक्षम था ; या

(ङ) क्या अग्रिम निदेश की सहमति किसी अन्य विधि या संवैधानिक उपबंधों के प्रतिकूल है।

(3) अग्रिम निदेश को लिखने वाले व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि, यथास्थिति, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ने जब अपेक्षित हो, अग्रिम निदेश तक पहुंच बना ली है।

(4) विधिक संरक्षक को किसी अवयस्क के संबंध में लिखित रूप में, अग्रिम निदेश करने का अधिकार होगा और अग्रिम निदेश से संबंधित सभी उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे अवयस्क को, उसके वयस्क होने तक लागू होंगे।

12. अग्रिम निदेशों का पुनर्विलोकन – (1) केन्द्रीय प्राधिकरण नियमित रूप से और आवधिक रूप से अग्रिम निदेशों के उपयोग का पुनर्विलोकन करेगा और उसके संबंध में सिफारिशें करेगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपने पुनर्विलोकन में कोई अग्रिम निदेश देने के लिए प्रक्रिया पर विनिर्दिष्ट ध्यान देगा और इस बात की भी परीक्षा करेगा कि विद्यमान प्रक्रिया से मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकार संरक्षित होते हैं या नहीं।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण अग्रिम निदेश करने की प्रक्रिया को उपांतरित कर सकेगा या किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए अग्रिम निदेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विनियम बना सकेगा।

13. अग्रिम निदेश के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य वृत्तिक का दायित्व – (1) किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को किसी विधिमान्य अग्रिम निदेश का अनुसरण करने पर किन्हीं अकल्पित परिणामों के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा।

(2) किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को, यदि उसे विधिमान्य अग्रिम निदेश की प्रति नहीं दी गई है, किसी विधिमान्य अग्रिम निदेश का अनुसरण न करने के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा।

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि

14. नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति और प्रतिसंहरण – (1) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अवयस्क नहीं है, किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर या व्यक्ति के अंगूठे के निशान के साथ सादे कागज पर लिखित में किया जाएगा ।

(3) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा, वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का पालन करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों को, इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए लिखित में अपनी सम्मति देने के लिए सक्षम होगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अग्रताक्रम में मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि समझा जाएगा, अर्थात् :--

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अग्रिम निदेश में नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति का कोई नातेदार या यदि वह उपलब्ध नहीं है या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होने के लिए इच्छुक नहीं है ; या

(ग) ऐसे व्यक्ति का कोई देख-रेख कर्ता या यदि वह उपलब्ध नहीं है या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होने के लिए इच्छुक नहीं है ; या

(घ) संबद्ध बोर्ड द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई उपयुक्त व्यक्ति ; या

(ङ) यदि ऐसा कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने के लिए उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड, निदेशक, समाज कल्याण विभाग को या उसके अभिहित प्रतिनिधि को मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करेगा :

परंतु मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, संबद्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति लंबित रहने तक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से लगाया जा सकेगा ।

(5) उपधारा (4) के परंतुक में निर्दिष्ट संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति के उपचार के लिए मानसिक स्थास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या भारसाधक मनश्चिकित्सक को लिखित आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक, संबद्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति लंबित रहने के दौरान उसे अस्थायी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करेगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या परिवर्तन कर सकेगा ।

(7) बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई नियुक्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा और इस धारा के अधीन किसी भिन्न प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकेगा ।

(8) किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति का या किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की अयोग्यता का अर्थ व्यक्ति की अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के बारे में विनिश्चय करने की सामर्थ्यता में कमी के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।

(9) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों के पास मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार संबंधी विनिश्चय करने की सामर्थ्यता होगी किंतु उन्हें विनिश्चय करने के लिए उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से भिन्न-भिन्न स्तरों के समर्थन की अपेक्षा हो सकेगी ।

15. अवयस्क का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि –(1) धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक उपधारा (2) के अधीन संबद्ध बोर्ड अन्यथा आदेश न दे, तब तक अवयस्कों की दशा में, उनके विधिक संरक्षक उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होंगे ।

(2) जहां अवयस्क के सर्वोत्तम हित में कार्य करने वाले किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संबद्ध बोर्ड को किए गए आवेदन पर या उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य के आधार पर संबद्ध बोर्ड की यह राय है कि, --

(क) विधिक संरक्षक अवयस्क के सर्वोत्तम हितों में कार्य नहीं कर रहा है ; या

(ख) विधिक संरक्षक अवयस्क के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अन्यथा उपयुक्त नहीं है,

वहां वह किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति को, जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त अवयस्क के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, नियुक्त कर सकेगा :

परंतु जहां कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त के लिए उपलब्ध नहीं है वहां बोर्ड, उस राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक को, जिसमें ऐसा बोर्ड अवस्थित है या उसके नामनिर्देशिती को मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करेगा ।

16. बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का प्रतिसंहरण, परिवर्तन, आदि – बोर्ड मानिसक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा या ऐसे व्यक्ति की देख-रेख के लिए उत्तरदायी किसी मनश्चिकित्सक द्वारा या ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, जहां व्यक्ति भर्ती हैं या उसे भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है, के भारसाधक किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर धारा 14 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहत, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा ।

17. नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के कर्तव्य – नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय, --

(क) मानिसक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की वर्तमान और पिछली इच्छाओं, जीवनवृत्त, मूल्यों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सर्वोत्तम हितों पर विचार करेगा ;

(ख) मानिसक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के विचारों पर उस सीमा तक जहां तक व्यक्ति विचाराधीन विनिश्चयों की प्रकृति को समझता है, विश्वास करेगा ;

(ग) धारा 89 या धारा 90 के अधीन उपचार का विनिश्चय करने में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की सहायता करेगा ;

(घ) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की पर्याप्त सहायता करने के लिए ऐसे निदान और उपचार की जानकारी मांगने का अधिकार होगा ;

(ङ) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के निमित्त या उसके फायदे के लिए धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित कौटुंबिक या गृह आधारित पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच बनाएगा ;

(च) धारा 98 के अधीन छुट्टी देने संबंधी योजना में अंतर्वलित होगा ;

(छ) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन भर्ती के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को आवेदन करेगा;

(ज) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन छुट्टी देने के लिए मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की ओर से संबद्ध बोर्ड को आवेदन करेगा;

(झ) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संबद्ध बोर्ड को आवेदन करेगा ;

(ज) धारा 87 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी उपयुक्त परिचारक को नियुक्त करेगा ;

(ट) धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन अनुसंधान के लिए सम्मति देने या रोके जाने का अधिकार होगा ।

अध्याय 5

मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार

18. मानसिक स्वास्थ्य की देख-रेख तक पहुंच बनाने का अधिकार – (1) प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार तक पहुंच बनाने का अधिकार होगा ।

(2) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार तक पहुंच बनाने के अधिकार से ऐसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अभिप्रेत होंगी जो लिंग, लिंगभेद, लैंगिक अभिविन्यास, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनैतिक विश्वास से वर्ग, निःशक्तता के आधार पर या किसी अन्य आधार पर विभेद के बिना वहन करने योग्य खर्च वाली, अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध औंगोलिक रूप से सुगम होंगी और ऐसी रीति में उपलब्ध होंगी जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके कुटुंबों और देख-रेख कर्ताओं की स्वीकार्य हों ।

(3) समुचित सरकार, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित सेवाओं की श्रेणी के लिए ऐसे पर्याप्त उपबंध जो आवश्यक हों, करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सेवाओं की श्रेणी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी सेवाओं में निम्नलिखित होंगे, --

(क) बाहा रोगी और अंतरंग रोगी की सेवाओं जैसी अत्यावश्यक मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं का उपबंध ;

(ख) ऐसे स्वास्थ्य विश्राम गृहों, आश्रय स्थान, समर्थित वास-सुविधा का उपबंध जो विहित किए जाएं ;

(ग) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के कुटुंब की सहायता के लिए या गृह आधारित पुनर्वासन के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपबंध ;

(घ) ऐसे अस्पताल और समुदाय आधारित पुनर्वास स्थापन और सेवाएं जो विहित की जाएं ;

(ङ) बालक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और वृद्धावस्था मानसिक सेवाओं के लिए उपबंध ।

(5) समुचित सरकार, --

(क) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देख-रेख सहित स्वास्थ्य देख-रेख के सभी स्तरों पर साधारण स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में, और समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करेगी ;

(ख) ऐसी रीति में उपचार उपलब्ध करवाएगी जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को समुदाय में और उनके कुटुंबों के साथ रहने में सहायक है ;

(ग) सुनिश्चित करेगी कि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता के उचार के लिए दीर्घकालिक देख-रेख का उपयोग, केवल आपवादिक परिस्थितियों में यथासंभव किसी अल्प अवधि के लिए और केवल

अंतिम उपाय के रूप में तब किया जाएगा जब समुदाय आधारित समुचित उपचार का प्रयत्न किया जा चुका हो और वह असफल रहा हो ;

(घ) सुनिश्चित करेगी कि मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से (जिसके अंतर्गत बालक और वृद्ध व्यक्ति भी हैं) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए लंबी दूरी तक की यात्रा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसी सेवाएं, उस स्थान के निकट उपलब्ध करवाई जाएंगी जहां मानसिक रूग्णता से ग्रस्त निवास करता है ;

(ङ) सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक जिले में उपलब्ध हों ;

(च) सुनिश्चित करेगी कि यदि उपधारा (4) के उपखंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उस जिले में उपलब्ध नहीं हैं जहां कोई मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति जिले में के किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने का हकदार है और उस जिले में के ऐसे स्थापनों में उपचार का व्यय समुचित सरकार द्वारा वहन किया जाएगा :

परंतु समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित किसी स्थापन में इस उपधारा के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की ऐसी अवधि तक, समुचित सरकार ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में नियम बनाएगी ।

(6) समुचित सरकार, ऐसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित सभी साधारण अस्पतालों पर धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समुचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की श्रेणी उपलब्ध कराएगी तथा आधारभूत और आपात मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ऐसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित, उपरिमुखी लोक स्वास्थ्य प्रणाली को उपलब्ध होंगी ।

(7) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, चाहे उनके पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड हो या नहीं, या जो दीन-हीन या बेघर हैं समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में और उसके द्वारा अभिहित अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में निःशुल्क और किसी वित्तीय खर्च के बिना मानसिक स्वास्थ्य उपचार और सेवाओं के हकदार होंगे ।

(8) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अन्य साधारण स्वास्थ्य सेवाओं के समान क्वालिटी की होंगी और मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी में कोई विभेद नहीं किया जाएगा ।

(9) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम क्वालिटी मानक, राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

(10) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं की श्रेणी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार आवश्यक औषधि सूची अधिसूचित करेगी और आवश्यक औषधि सूची में की सभी औषधियां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य प्रणाली में के उपरिमुखियों से आरंभ होने वाले समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित स्वास्थ्य स्थापनों पर सभी समय सभी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध होंगी :

परंतु जहां किसी स्वास्थ्य स्थापन में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के स्वास्थ्य वृत्तिक उपलब्ध हैं, वहां सभी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को वैसी ही किसी सूची से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित समुचित आवश्यक औषधियां भी खर्च के बिना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(11) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि इस धारा के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्तता, पूर्विकता, प्रगति और साम्या के निबंधनों के अनुसार आवश्यक बजट संबंधी उपलब्ध हो ।

स्पष्टीकरण – उपधारा (11) के प्रयोजन के लिए, --

- (i) “पर्याप्तता” पद से मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए कितना पर्याप्त है, का संबंध अभिप्रेत है ;
- (ii) “पूर्विकता” से अन्य बजट शीर्षों की तुलना का संबंध अभिप्रेत है ;
- (iii) “साम्या” से व्यक्तियों, उनके कुटुंबों और देख-रेख कर्ताओं पर स्वास्थ्य, मानसिक रूग्णता के सामाजिक और आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के उचित आबंटन का संबंध, अभिप्रेत है ;
- (iv) “प्रगति” से राज्यों की अनुक्रिया में किसी सुधार को उपदर्शित करने का संबंध अभिप्रेत है ।

19. समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार – (1) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को, --

(क) समाज में रहने का, उसका भाग होने का अधिकार होगा और उसे समाज से अलग नहीं किया जाएगा ; और

(ख) केवल इस कारण से कि उसका कोई कुटुंब नहीं है या उसके कुटुंब ने उसे स्वीकार नहीं किया है या वह बेघर है या समुदाय आधारित सुविधाओं के अभाव में किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में नहीं रखा जाएगा ।

(2) जहां किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का उसके कुटुंब या नातेदारों के साथ रहना संभव नहीं है या जहां किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का उसके कुटुंब या नातेदारों द्वारा त्यजन कर दिया गया है, वहां समुचित सरकार, विधिक सहायता सहित यथा समुचित और कौटुम्बिक गृह के प्रति उसके अधिकार का उपयोग करने और कौटुम्बिक गृह में रहने को सुकर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाएगी ।

(3) समुचित सरकार, युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें दीर्घकालिक वास मानसिक चिकित्सालयों जैसे अधिक निर्बंधनात्मक मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में लंबे उपचार की अपेक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विश्राम गृह, सामूहिक विश्राम गृह सहित अल्प निर्बंधनात्मक समुदाय आधारित स्थापन उपलब्ध कराएगी या उनकी स्थापना में सहायता करेगी ।

20. क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार – (1) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार होगा।

(2) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित होगा और उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् : --

- (क) सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पर्यावरण में जीवन निर्वाह ;
- (ख) पर्याप्त स्वच्छ दशाओं का होना ;
- (ग) अवकाश, मनोरंजन, शिक्षा और धार्मिक आचरणों के लिए युक्तियुक्त सुविधाओं का होना ;
- (घ) एकांतता को बनाए रखना ;
- (ङ) उचित परिधान जिसमें ऐसे व्यक्ति को, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके शरीर को अनावृत्त होने से संरक्षित किया जा सके ;
- (च) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में कार्य करने के लिए और यदि कार्य करता है तो उसे समुचित पारिश्रमिक लेने के लिए बाध्य न करना ;
- (छ) समुदायों में जीवनयापन के लिए तैयार करने हेतु पर्याप्त उपबंध का होना ;
- (ज) स्वास्थ्यप्रद भोजन, स्वच्छता, निजी स्वच्छता की वस्तुओं के लिए स्थान और उन तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का होना जिसमें विशिष्टतया महिलाओं की निजी स्वच्छता के लिए ऐसी मर्दों तक, जो ऋतुस्त्राव के दौरान अपेक्षित हों, पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त रूप से उपबन्ध हों ;
- (झ) मुंडन कराना (सिर के बालों की हजामत) अनिवार्य न होना ;

(ज) अपने व्यक्तिगत वस्त्रों को पहनना, यदि वे ऐसी इच्छा करें और स्थापन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्टी पहनने को बाध्य न किया जाना ;

(ट) शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और लैंगिक दुर्घटनाएँ के सभी रूपों से संरक्षित होना ।

21. समानता और भेदभाव न करने का अधिकार –(1) मानसिक रूपणता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति के साथ, सभी स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख के उपबंध में शारीरिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(क) लिंग, लिंगभेद, लैंगिक उन्मुखता, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनैतिक विश्वास, वर्ग या दिव्यांगता सहित किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं होगा ;

(ख) मानसिक रूपणता के लिए आपातकालीन सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं उसी ही क्वालिटी की होंगी और उनकी उपलब्धता वैसी ही होगी जैसी शारीरिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है ;

(ग) मानसिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्ति वैसी ही रीति में, उसी विस्तार तक और वैसी ही क्वालिटी की एंबुलेंस सेवाओं के उपयोग के हकदार होंगे जैसी शारीरिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं ;

(घ) स्वास्थ्य स्थापनों में जीवन निर्वाह की परिस्थितियां वैसी ही रीति की, उसी विस्तार तक और वैसी ही क्वालिटी की होंगी जैसी शारीरिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं ; और

(ड) शारीरिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों के उपलब्ध कराई जाने वाली कोई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्तियों को उसी रीति में, उसी विस्तार तक और समान क्वालिटी की उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में देख-रेख, उपचार प्राप्त करने वाली या पुनर्वास करने वाली किसी महिला के तीन वर्ष से कम आयु के किसी बालक को साधारणतया ऐसे स्थापन में उसके निवास के दौरान उससे पृथक्, नहीं किया जाएगा ;

परंतु जहां उपचार करने वाले मनश्चिकित्सक की, महिला की उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर और यदि समुचित हो तो अन्य व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह राय है कि बालक को महिला से, उसकी मानसिक रूपणता के कारण अपहानि का जोखिम है या ऐसा करना बालक के हित और सुरक्षा में है तो बालक को महिला के मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवास के दौरान उससे अस्थायी रूप से पृथक् कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि महिला की, पृथक्करण की अवधि के दौरान स्थापन के कर्मचारिवृद्ध या उसके कुटुंब के, ऐसे पर्यवेक्षणाधीन जैसा समुचित हो, बालक तक पहुंच बनी रहेगी ।

(3) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में महिला के प्रवास के दौरान प्रत्येक पंद्रह दिन में उसे उसके बालक से पृथक् रखने के विनिश्चय का पुनर्विलोकन किया जाएगा और जैसे ही वे परिस्थितियां जिनमें पृथक्करण अपेक्षित था, समाप्त हो जाती हैं, पृथक्करण को समाप्त कर दिया जाएगा :

परंतु किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के निर्धारण के अनुसार अनुज्ञात ऐसे पृथक्करण के लिए यदि वह तीस दिन से अनधिक तक निरंतर बना रहता है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा होगी ।

(4) प्रत्येक बीमाकर्ता, मानसिक रूपणता के उपचार के लिए ऐसे समान आधार पर जो शारीरिक रूपणता के उपचार के लिए उपलब्ध हैं, चिकित्सा बीमा का उपबंध करेगा ।

22. सूचना का अधिकार – (1) मानसिक रूपणता से ग्रस्त व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को निम्नलिखित सूचना के अधिकार होंगे, अर्थात् :–

(क) यदि वह भर्ती हे तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के ऐसे उपबंध जिसके अधीन उसे भर्ती किया गया है और उस उपबंध के अधीन भर्ती के लिए मानदंड ;

(ख) भर्ती के पुनर्विलोकन के लिए संबंधित बोर्ड को कोई आवेदन करने का उसका अधिकार ;

(ग) मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति का स्वभाव और प्रस्तावित उपचार योजना जिसके अंतर्गत प्रस्तावित उपचार तथा ऐसे प्रस्तावित उपचार के ज्ञात अतिरिक्त परिणाम के प्रभाव की जानकारी भी है ;

(घ) ऐसी किसी भाषा व प्ररूप में जानकारी प्राप्त करना जिसे ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझ सके ।

(2) यदि मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति को भर्ती या उपचार प्रारंभ करने के समय पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती है तो व्यक्ति की देख-रेख करने वाले भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि जब व्यक्ति उसे प्राप्त करने की स्थिति में हो, तो उसे तत्काल संपूर्ण जानकारी दी जाएँ :

परंतु जहां मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति को भर्ती या उपचार प्रारंभ करते समय जानकारी नहीं दी गई है वहां व्यक्ति की देख-रेख करने वाले भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को तुरंत जानकारी देगा ।

23. गोपनीयता का अधिकार –(1) मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उसके मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य देख-रेख के संबंध में गोपनीयता का अधिकार होगा ।

(2) किसी मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति की देख-रेख या उपचार करने वाले सभी स्वास्थ्य वृत्तिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित अपवादों के साथ सभी ऐसी जानकारी जो उसने देख-रेख या उपचार के दौरान प्राप्त की है, गोपनीय रखें, अर्थात् :--

(क) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए जानकारी देना ;

(ख) अन्य मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों को मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति की देख-रेख और उपचार करने हेतु समर्थ बनाने के लिए जानकारी देना ;

(ग) ऐसी जानकारी देना, यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपहानि या हिंसा से संरक्षित करने के लिए आवश्यक है ;

(घ) केवल ऐसी जानकारी दी जाएगी जो पहचान की गई अपहानि के विरुद्ध संरक्षा करने के लिए आवश्यक है ;

(ङ) केवल ऐसी जानकारी देना जो जीवन संकट के निवारण के लिए आवश्यक हो ;

(च) संबंधित बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य ऐसे कानूनी प्राधिकरण के, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है, आदेश पर जानकारी देना ; और

(छ) लोक क्षेम और सुरक्षा के हितों में जानकारी देना ।

24. मानसिक रूणता के संबंध में सूचना देने पर निर्बंधन –(1) मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति की सम्मति के बिना किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार करवाने वाले मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति से संबंधित कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी ।

(2) मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति का गोपनीयता संबंधी अधिकार यथार्थ या वास्तविक स्थान में इलैक्ट्रोनिक या अंकीय रूपविधान में भंडारित सभी सूचनाओं को भी लागू होगा ।

25. चिकित्सा अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार --(1) मानसिक रूणता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को उनके ऐसे मूल चिकित्सा अभिलेखों तक, जो विहित किए जाएं, पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

(2) ऐसे अभिलेखों का भारसाधक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक चिकित्सा अभिलेखों में की विनिर्दिष्ट सूचना को रोक सकेगा यदि ऐसे प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप, --

(क) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गंभीर मानसिक अपहानि हो सकती है ; या

(ख) अन्य व्यक्तियों को अपहानि होने की संभावना है ।

(3) जब चिकित्सा अभिलेखों में की कोई सूचना व्यक्ति से विधारित की जाती है, तो मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी सूचना देने हेतु आदेश के लिए संबंधित बोर्ड को आवेदन करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा ।

26. निजी संपर्कों और संसूचनाओं का अधिकार – (1) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को ऐसे मानसिक स्थास्थ्य स्थापन के मानकों के अधीन रहते हुए युक्तियुक्त समयों पर आगन्तुकों को मना करने या उनका सत्कार करने और टेलीफोन या मोबाइल फोन की कॉल से इंकार करने का या उसे ग्रहण करने का अधिकार होगा ।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति इलैक्ट्रोनिक ढंग से, जिसके अंतर्गत ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना भी है, मेल भेज सकेगा और प्राप्त कर सकेगा ।

(3) जहां मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को यह सूचित करता है कि वह समुदाय में के किसी नामित व्यक्ति से कोई डाक या ई-मेल प्राप्त करना नहीं चाहता है, वहां भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ नामित व्यक्ति द्वारा ऐसे पत्र व्यवहार को निर्बंधित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) में अंतर्विष्ट कोई बात किन्हीं परिस्थितियों में खंड (क) से खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भैंट करने, उन्हें टेलीफोन कॉल करने और उनसे प्राप्त करने तथा उनसे या उनको डाक या ई-मेल प्राप्त करने या भेजने को लागू नहीं होंगी, अर्थात् :--

(क) कोई न्यायाधीश या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ;

(ख) संबद्ध बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण के सदस्य ;

(ग) कोई संसद् सदस्य या राज्य विधान-मंडल का कोई सदस्य ;

(घ) व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, वकील या विधिक प्रतिनिधि ;

(ङ) व्यक्ति के उपचार का भारसाधक चिकित्सा व्यवसायी ;

(च) समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ।

27. विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार – (1) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिए गए उसके अधिकारों में से किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने के लिए निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, ऐसी संरक्षणीय संस्था का भारसाधक व्यक्ति जो विहित किया जाए, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को यह सूचित करने का कर्तव्य होगा कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का 39) या अन्य सुसंगत विधियों के अधीन या न्यायालय के किसी आदेश के अधीन, यदि ऐसा आदेश दिया जाए, निःशुल्क विधिक सेवाओं का हकदार होगा और वह उसे सेवाओं की उपलब्धता के लिए संपर्क ब्यौरे उपलब्ध कराएगा ।

28. सेवाओं के उपबंधों में कमी के बारे में शिकायत करने का अधिकार – (1) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में देख-रेख, उपचार और सेवाओं के उपबंध में किसी कमी के संबंध में,--

(क) स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों को और यदि उसके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ;

(ख) संबंधित बोर्ड को और यदि वह उसके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं हैं ;

(ग) राज्य प्राधिकरण को,

शिकायत करने का अधिकार होगा ।

(2) उपधारा (1) में शिकायत करने के उपबंध, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई न्यायिक उपचार मांगने के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे ।

अध्याय 6

समुचित सरकार के कर्तव्य

29. मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन और निवारक कार्यक्रम – (1) समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन और मानसिक रुग्णता के निवारण के कार्यक्रमों की योजना बनाएं, उन्हें डिजाइन करे तथा उन्हें कार्यान्वित करे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार विशिष्टतया देश में आत्महत्याओं और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाएगी, उनके लिए डिजाइन तैयार करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी ।

30. मानसिक स्वास्थ्य और रुग्णता के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा मानसिक रुग्णता के साथ लगे कलंकों को कम करना – समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि, --

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से, जिनके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया भी हैं, नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जा रहा है या नहीं ;

(ख) मानसिक रुग्णता से संबद्ध कलंक को कम करने हेतु कार्यक्रम प्रभावी रीति से योजनाबद्ध डिजाइन, वित्तपोषित और क्रियान्वित किए गए हैं या नहीं ;

(ग) समुचित सरकार के पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों, समुचित सरकार के पदधारियों को इस अधिनियम के अधीन मुद्दों पर नियमकालिक सुग्राहीकरण और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं, सभी उपाय करेगी ।

31. समुचित सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, आदि के संबंध में उपाय करना – (1) समुचित सरकार, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप करने हेतु उपलब्ध मानव संसाधनों की वृद्धि के लिए और उपलब्ध मानव संसाधनों के कौशल का सुधार करने के लिए उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार करके, उन्हें विकसित और कार्यान्वित करके देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के मानवीय संसाधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपाय करेगी ।

(2) समुचित सरकार, लोक स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनों में के सभी चिकित्सा अधिकारियों को और कारागारों या जेलों में के सभी चिकित्सा अधिकारियों को आधारिक और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण देगी ।

(3) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर जनसंख्या के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की संख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरा करने हेतु उपाय करेगी ।

32. समुचित सरकार में समन्वयन – समुचित सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख संबंधित विषयों का पता लगाने के लिए संबंधित मंत्रालय और ऐसे विभागों द्वारा जो स्वास्थ्य, विधि, गृह, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, नियोजन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित हैं, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी।

अध्याय 7

केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

33. केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना – केन्द्रीय सरकार, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम से जात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

34. केन्द्रीय प्राधिकरण की संरचना – (1) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव या अपर सचिव – पदेन अध्यक्ष ;

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मानसिक स्वास्थ्य का भारसाधक संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग का संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;

(घ) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक – पदेन सदस्य ;

(ङ) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग कार्य विभाग का संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;

(च) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;

(छ) केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के निदेशक – पदेन सदस्य ;

(ज) केन्द्रीय सरकार के सुसंगत मंत्रालयों या विभागों से ऐसे अन्य पदेन प्रतिनिधि ;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) की मद (iii) में यथा परिभाषित एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ट) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा नैदानिक मनोविज्ञानी, जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हैं जो मानसिक रूण हैं या रहे थे – सदस्य ;

(ढ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के दो व्यक्ति – सदस्य ;

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का, जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति – सदस्य ;

(त) मानसिक स्वास्थ्य से सुसंगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, यदि आवश्यक समझे जाएं ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ज) से खंड (त) में निर्दिष्ट सदस्यों को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाएं ।

35. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते – (1) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ज) से खंड (त) में निर्दिष्ट केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में इस शर्त पर पद धारण करेंगे जिसके आधार पर उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

36. त्यागपत्र – केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु कोई सदस्य, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अविलम्ब पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

37. रिक्तियों का भरा जाना – केन्द्रीय सरकार, रिक्ति को भरने के लिए प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति होने की तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व नामनिर्देशन करेगी ।

38. रिक्तियों, आदि से केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि, --

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

39. कतिपय मामलों में बैठकों में सदस्यों का भाग न लेना – कोई सदस्य, जिसका केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हितों की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

40. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी – (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्राधिकरण का एक ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो भारत सरकार में निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(2) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा ।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेश वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत अहंताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी है) वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

41. केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य – (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और वह –

- (क) केन्द्रीय प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन का प्रशासन ;
 - (ख) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य संबंधी कार्यक्रमों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन ;
 - (ग) केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव लेखबद्ध करने ;
 - (घ) केन्द्रीय प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने तथा बजट का निष्पादन करने,
- के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए –

- (क) पूर्ववर्ष में केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट ;
- (ख) कार्य के कार्यक्रम ;
- (ग) पूर्ववर्ष के वार्षिक लेखे ; और
- (घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तु करेगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय प्राधिकारी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

42. केन्द्रीय प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण – केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना पर, --

(क) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व केन्द्रीय प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण – मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकारों और शक्तियों तथा सभी सम्पत्तियों को, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिनके अंतर्गत विशिष्टतया, ऐसी सम्पत्तियों में के या उनसे उद्भूत, जो ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हैं, नगद अतिशेष, जमा और अन्य सभी हित और अधिकार, उनसे संबंधित सभी लेखा पुस्तके और अन्य दस्तावेज भी हैं, सम्मिलित समझा जाएगा ; और दायित्वों में सभी ऋणों, किसी भी प्रकार के दायित्वों और बाध्यताओं को सम्मिलित समझा जाएगा ;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दिन के ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उक्त केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके साथ-साथ संबंध में नामांकन के दौरान संगृहीत सभी आंकड़े और जानकारी, किए गए अधिप्रमाणन के सभी व्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा ऐसे सभी विषय और बातें, जिन्हें किए जाने हेतु वह वचनबद्ध है, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए की गई, या किए जाने हेतु उसके द्वारा वचनबद्ध होना समझी जाएंगी ;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां केन्द्रीय प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी ; और

(घ) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए जाने हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।

43. केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य – (1) केन्द्रीय प्राधिकरण –

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रीकृत स्थापनों के सभी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर देश में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे अद्यतन बनाएगा तथा ऐसे स्थापनों के किसी रजिस्टर को प्रकाशित करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशन भी है) ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न प्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए क्वालिटी और सेवा उपबंध सन्नियम विकसित करेगा ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का अधीक्षण करेगा और सेवाओं के उपबंध में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा ;

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची प्रकाशित करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशन भी है) ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों और उनके क्रियान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन पदधारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा ;

(च) केन्द्रीय सरकार को मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देगा ;

(छ) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका केन्द्रीय सरकार विनिश्चय करे :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की प्रति केन्द्रीय प्राधिकरण को दी जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्धीत की जाने वाली फीस भी है) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

44. केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक – (1) केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक (वर्ष में कम से कम दो बार) ऐसे समय और स्थानों पर होगी तथा बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक की गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थिति होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम् सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे ।

(5) यदि कोई सदस्य जो किसी कंपनी का निदेशक है और उसके ऐसे निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उक्त विषय के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

45. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना – प्रत्येक राज्य सरकार, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ‘राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण’ नाम से जात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

46. राज्य प्राधिकरण की संरचना – (1) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, --

- (क) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सचिव या प्रधान सचिव – पदेन अध्यक्ष ;
- (ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में मानसिक स्वास्थ्य का भारसाधक संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;
- (ग) स्वास्थ्य सेवाएं या आयुर्विज्ञान शिक्षा का निदेशक – पदेन सदस्य ;
- (घ) राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव – पदेन सदस्य ;
- (ड) राज्य सरकार के सुसंगत मंत्रालयों या विभागों से ऐसे अन्य पदेन प्रतिनिधि ;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राज्य में के किसी मानसिक अस्पताल का प्रमुख या किसी सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सा विज्ञान का विभागाध्यक्ष – सदस्य ;
- (छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला ख्यातिप्राप्त राज्य का एक मनश्चिकित्सक जो सरकारी सेवा में नहीं हो – सदस्य ;
- (ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) की मद (iii) में यथा परिभाषित एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;
- (ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा नैदानिक मनोविज्ञानी जिसके पास उस क्षेत्र का कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;
- (ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स, जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;
- (ठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हों जो मानसिक रूग्ण हैं या रहे थे – सदस्य ;
- (ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के दो व्यक्ति – सदस्य ;
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे गैर – सरकारी संगठनों का जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति – सदस्य ।
- (2) राज्य सरकार, द्वारा उपधारा (1) के खंड (ड) से खंड (ढ) में निर्दिष्ट सदस्यों को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

47. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते – (1) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ड) से खंड (ढ) में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में इस शर्त पर पद धारण करेंगे जिसके आधार पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

48. त्यागपत्र – राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु कोई सदस्य, जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

49. रिक्तियों का भरा जाना – राज्य सरकार, रिक्ति को भरने के लिए, राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व नामनिर्देशन कर सकेगी ।

50. रिक्तियों, आदि से राज्य प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना -- राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से कि, --

(क) राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है,

अविधिमान्य नहीं होगी ।

51. कतिपय मामलों में बैठकों में सदस्य का भाग न लेना – कोई सदस्य, जिसका राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, सुसंगत परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हितों की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन राज्य प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में राज्य प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

52. राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी – (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला राज्य प्राधिकरण का एक ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(2) राज्य प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा ।

(3) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत अहताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी हैं) वे होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

53. राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य – (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और वह –

(क) राज्य प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन ;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य संबंधी कार्यक्रमों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन ;

(ग) राज्य प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्ताव को लेखबद्ध करने ;

(घ) राज्य प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने और बजट का निष्पादन करने, के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष राज्य प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए, --

(क) पूर्ववर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट ;

(ख) कार्य के कार्यक्रम ;

(ग) पूर्ववर्ष के वार्षिक लेखे; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तुत करेगा ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा ।

54. राज्य प्राधिकरण की आस्तियाँ, दायित्वों का अंतरण – राज्य प्राधिकरण की स्थापना से ही –

(क) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण की आस्तियाँ और दायित्व राज्य प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण – मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण की आस्तियाँ में सभी अधिकारों और शक्तियों तथा सभी सम्पत्तियों को, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया, ऐसी सम्पत्तियों में के या उनसे उद्भूत, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण के कब्जे में हैं, नकद अतिशेष, जमा और अन्य सभी हित और अधिकार, उनसे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं, सम्मिलित समझा जाएगा ; और दायित्वों में सभी ऋणों, किसी भी प्रकार के दायित्वों और बाध्यताओं को सम्मिलित समझा जाएगा ;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन के ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उक्त राज्य प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में नामांकन के दौरान संगृहीत सभी आंकड़े और जानकारी किए गए अधिप्रमाणन के सभी व्यौरे, उपगत ऋण बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा ऐसे सभी विषय और बातें जिन्हें किए जाने हेतु वह वचनबद्ध हैं, राज्य प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए की गई, या किए जाने हेतु वचनबद्ध होना समझी जाएंगी ;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण को शोध्य सभी राशियां राज्य प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी ; और

(घ) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जा संस्थित की जानी हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी ।

55. राज्य प्राधिकरण की कृत्य –(1) राज्य प्राधिकरण –

(क) धारा 43 में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के सिवाय राज्य में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को रजिस्टर करेगा और ऐसे स्थापनों के रजिस्टर बनाए रखेगा और उसे प्रकाशित करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर आनलाइन प्रकाशन भी है) ;

(ख) राज्य में के विभिन्न प्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए क्वालिटी और सेवा के उपबंध सन्नियम विकसित करेगा ;

(ग) राज्य में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का अधीक्षण और सेवाओं के उपबंधों में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा ;

(घ) राज्य में मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के रूप में कार्य करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को रजिस्टर करेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची, ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों और उनके क्रियान्वयन के बारे में विधिक प्रवर्तन पदधारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित सभी सुसंगत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा ;

(च) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जिनका राज्य सरकार विनिश्चय करे, निर्वहन करेगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को (उनको छोड़कर जो धारा 43 में निर्दिष्ट हैं) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की प्रति राज्य प्राधिकरण को दी जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्भीत फीस भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

56. राज्य प्राधिकरण की बैठकें – (1) राज्य प्राधिकरण की बैठक (एक वर्ष में कम से कम चार बार) ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थिति होने में असमर्थ है, तो ज्येष्ठतम् सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(4) राज्य प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या राज्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे ।

(5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और उसके ऐसे निदेशक के रूप में राज्य प्राधिकरण की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में राज्य प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा ।

अध्याय 9

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

57. केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान – केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे ।

58. केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि – (1) केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा –

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और उधार ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार ; और

(iii) ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी धनराशियां जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को पूरा करने और प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा ।

59. केन्द्रीय प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा – (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के हैं और उसे विशिष्टतया पुस्तक, बहियों, लेखा संबंधित वात्चर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उसकी संपरीक्षा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

60. केन्द्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट – केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसे रूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसके वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों सहित उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और केन्द्रीय सरकार सदन के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखवाएगी ।

61. राज्य सरकार द्वारा अनुदान – राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग पश्चात् राज्य प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान कर सकेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे ।

62. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि – (1) राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा –

(i) राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और उधार ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार ; और

(iii) ऐसे अन्य स्त्रोतों से राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी धनराशियां जिनका राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक और प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा।

63. राज्य प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा – (1) राज्य प्राधिकरण, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के हैं और उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वातचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

64. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट – राज्य प्राधिकरण, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों सहित उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान – मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 10

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन

65. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण – (1) कोई व्यक्ति या संगठन तब तक कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित नहीं करेगा या नहीं चलाएगा जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत नहीं कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकरण” पद से –

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के संबंध में, केन्द्रीय प्राधिकरण ;

(ख) राज्य में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के संबंध में, [जो खंड (क) में निर्दिष्ट स्वास्थ्य स्थापन नहीं हैं] राज्य प्राधिकरण,

अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या संगठन जो मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित करने या उसे चलाए जाने का प्रस्ताव करता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण में उक्त स्थापन को रजिस्टर करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के किसी प्रवर्ग या वर्ग को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा से छूट दे सकेगी।

स्पष्टीकरण – यदि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) या राज्य में तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, तो ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, इस वचनबद्धता के साथ कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को, यदि कोई हों, पूरा करता है, ऐसे प्ररूप में, जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए, आवेदन के साथ उक्त रजिस्ट्रीकरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए जाने की अवधि तक वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु यह और कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए जाने पर, पहले परंतुक में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस तारीख से, जिसको ऐसे मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह कथन करते हुए कि ऐसा स्थापन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा स्थापन न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, प्राधिकरण ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(4) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए और रजिस्ट्रीकरण को जारी रखने के लिए –

(क) प्रसुविधाओं और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम मानकों को पूरा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(ख) ऐसे स्थापन में लगाए गए कार्मिकों की ऐसी न्यूनतम अहंताएं पूरा करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विहित की जाएं ;

(ग) अभिलेखों के अनुरक्षण और रिपोर्ट करने के लिए ऐसे उपबंधों को पूरा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं; और

(घ) ऐसी कोई अन्य शर्त पूरा करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(5) प्राधिकरण –

(क) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को ऐसे विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत कर सकेगा, जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए न्यूनतम मानकों को विनिर्दिष्ट करते समय स्थानीय दशाओं का ध्यान रख सकेगा ।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा ।

66. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, निरीक्षण और जांच के लिए प्रक्रिया – (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे प्ररूप में, ऐसे व्यौरों और फीस, जो विहित की जाए, के साथ प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान है, प्राधिकरण के गठन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को अपने अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(4) प्राधिकरण, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां और जानकारी अंतर्विष्ट करते हुए एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो विहित की जाए ।

(5) प्राधिकरण से अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने से पूर्व कोई जांच करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(6) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पेंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की सभी विशिष्टियां मुद्रित प्ररूप में और ऑनलाइन डिजिटल प्ररूप में प्रकाशित करेगा।

(7) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण उसके जारी किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और वह नवीकरणीय होगा।

(8) जहां इस अधिनियम के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विशिष्ट प्रवर्गों के लिए मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां उस प्रवर्ग में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, ऐसे मानकों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उस प्रवर्ग के लिए आवेदन करेंगे और स्थायी रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

(9) प्राधिकरण, मानकों को मुद्रित और ऑनलाइन डिजिटल रूपविधान में प्रकाशित करेगा।

(10) जब तक इस अधिनियम के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विशिष्ट प्रवर्गों के लिए मानक विनिर्दिष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व तीस दिन के भीतर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(11) यदि आवेदन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात् दिया जाता है तो प्राधिकरण ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात करेगा।

(12) कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण को स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(13) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि स्थापन ने न्यूनतम विनिर्दिष्ट मानकों को ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पालन किया है।

(14) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुपालन से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, प्राधिकरण वैसे ही ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए आक्षेप फाइल करने के लिए, यदि कोई हों, लोक सूचना देगा और अपनी वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

(15) प्राधिकरण, उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हों, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को, ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, प्रत्युत्तर देने के लिए संसूचित करेगा।

(16) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को उपधारा (15) के अधीन ऐसे स्थापन को संसूचित आक्षेपों के प्रतिनिर्देश सहित मानकों के अनुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(17) प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, ऐसे स्थापन के लिए स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

(18) प्राधिकरण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पेंतालीस दिन की अवधि के भीतर –

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने ; या

(ख) आवेदन को उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नामंजूर करने,

संबंधी आदेश पारित करेगा :

परंतु यदि प्राधिकरण, खंड (ख) के अधीन आवेदन नामंजूर करता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ऐसी कमियों को, जिनके कारण आवेदन नामंजूर हुआ है, सुधारने के लिए छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि अनुदत्त करेगा और ऐसा स्थापन रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा।

(19) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकरण ने उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं आक्षेपों को, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को उपधारा (15) के अधीन न तो संसूचित किया है और न ही उपधारा (18) के अधीन कोई आदेश

पारित किया है, तो प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्राधिकरण स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा ।

67. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की संपरीक्षा – (1) प्राधिकरण प्रत्येक तीन वर्ष में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा (जिसके अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि भी हैं) जो विहित किए जाएं, सभी रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा कराएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं ।

(2) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन संपरीक्षा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो विहित की जाए ।

(3) प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को कारण बताओं सूचना जारी कर सकेगा कि क्यों न इस अधिनियम के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाए, यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में असफल रहा है ; या

(ख) ऐसा या ऐसे व्यक्ति या इकाइयां, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रबंध सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराए गए हैं; या

(ग) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ने मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया है ।

(4) प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उपर्याप्त (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत आता है, तो किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विरुद्ध कर सकेगा, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

(5) उपर्याप्त (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, --

(क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, अपील किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होते ही ; और

(ख) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और अपील खारिज हो गई है, खनिज करने के आदेश की तारीख से,

प्रभावी होगा ।

(6) प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने पर तुरंत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को, उसके प्रचालन करने से, यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न संकट है, अवरुद्ध करेगा ।

(7) प्राधिकरण, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए सिफारिश की जाए ।

68. निरीक्षण और जांच – (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुपालन या उसके किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विहित किया जाए, निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकेगा ।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे निरीक्षण या जांच में अभ्यावेदन किए जाने का हकदार होगा ।

(3) प्राधिकरण, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को संसूचित करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् वह ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवश्यक परिवर्तन करने के लिए स्थापन को आदेश दे सकेगा ।

(4) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, उपधारा (3) के अधीन किए गए प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करेगा ।

(5) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, उपधारा (3) के अधीन किए गए प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

(6) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि यह संदेह करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रचालन कर रहा है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रवेश और खोजबीन कर सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे निरीक्षण या जांच में सहयोग करेगा और वह ऐसे निरीक्षण या जांच में अभ्यावेदन करने का हकदार होगा ।

69. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील – रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाले प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यक्ति कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे आदेश से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य में के उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु उच्च न्यायालय, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

70. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के प्रमाणपत्र, फीस और रजिस्टर – (1) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में सहजदृश्य स्थान पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी रीति में प्रदर्शित करेगा जिससे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह दृश्यमान हो ।

(2) यदि प्रमाणपत्र नष्ट हो गया है या खो गया है या विकृत हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो प्राधिकरण मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के अनुरोध पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा और स्थापन के स्वामित्व के परिवर्तन की दशा में विधिमान्य होगा ।

(4) नए स्वामी द्वारा प्राधिकरण को मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के स्वामित्व में हुआ कोई परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(5) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के प्रवर्ग में परिवर्तन की दशा में, ऐसा स्थापन प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस प्रवर्ग में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा ।

71. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्टर का डिजिटल रूपविधान में रखा जाना – प्राधिकरण, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रजिस्टर के नाम से जात डिजिटल प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें इस प्रकार अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पृथक रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

72. जानकारी प्रदर्शित करने का मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का कर्तव्य – (1) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, स्थापन के भीतर सहजदृश्य स्थान पर (जिसके अन्तर्गत उसकी वेबसाइट भी है) संपर्क ब्यौरे जिनमें संबद्ध बोर्ड का पता और टेलीफोन नम्बर भी है, प्रदर्शित करेगा ।

(2) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, व्यक्ति को संबद्ध बोर्ड को आवेदन करने के लिए आवश्यक प्ररूप उपलब्ध करवाएगा और बोर्ड को भर्ती के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करने के लिए टेलीफोन काल करने हेतु स्वतंत्र पहुंच भी प्रदान करेगा ।

मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड

73. मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन – (1) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड के नाम से जात बोर्ड का गठन करेगा ।

(2) बोर्ड की अपेक्षित संख्या, स्थान और अधिकारिता, राज्य प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) राज्य प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन राज्य में किसी ज़िले या ज़िलों के समूहों के लिए बोर्ड के गठन की रीति वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के अधीन नियम बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थातः--

(क) उस राज्य में जिसमें ऐसे बोर्ड का गठन किया जाना है, बोर्ड का प्रत्याशित या वास्तविक कार्यभार ;

(ख) राज्य में विधमान मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संख्या ;

(ग) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या ;

(घ) उस ज़िले की जनसंख्या जिसमें बोर्ड का गठन किया जाना है ;

(ड) उस ज़िले की भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थिति जिसमें बोर्ड का गठन किया जाना है ।

74. बोर्ड की संरचना -- (1) प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) कोई ज़िला न्यायाधीश या राज्य न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी जो ज़िला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है या कोई सेवानिवृत्त ज़िला न्यायाधीश, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

(ख) उन ज़िलों के जिनमें बोर्ड गठित किया जाना है, ज़िला कलक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का प्रतिनिधि ;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से एक मनश्चिकित्सक होगा और दूसरा कोई चिकित्सा व्यवसायी होगा ;

(घ) दो सदस्य, जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति या देख-रेख कर्ता या मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों या देख-रेख कर्ताओं के संगठनों या मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे ।

(2) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निराहित होगा या उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जाएगा, यदि –

(क) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ख) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ग) उसे सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ; या

(घ) वह ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ड) वह ऐसी अन्य निरहताएं रखता है जो सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत हो जाने पर, रिक्ति धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन प्रवर्ग से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी ।

75. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें – (1) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय मानदेय और अन्य भूत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

76. प्राधिकरण और बोर्ड के विनिश्चय – (1) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के विनिश्चय सर्वसम्मति द्वारा किए जाएंगे जिसके न हो सकने पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(2) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के सदस्यों की बैठक की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी ।

77. बोर्ड को आवेदन – (1) मानसिक रुग्नता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्देशित प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, ऐसे व्यक्ति की सम्मति से जो किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के किसी विनिश्चय से व्यथित है या इस अधिनियम के अधीन, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, प्रतितोष या समुचित अनुतोष की ईष्टा से बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसा कोई आवेदन करने के लिए कोई फीस या प्रभार उद्ग़ृहीत नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में आवेदक का नाम, उसके संपर्क व्यौरै, उसके अधिकारों के उल्लंघन के व्यौरै, ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या कोई अन्य स्थान जहां ऐसा उल्लंघन हुआ था और बोर्ड से ईप्सित प्रतितोष, अंतर्विष्ट होंगे ।

(4) आपवादिक परिस्थितियों में, बोर्ड, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किसी व्यक्ति से मौखिक रूप में या टेलीफोन द्वारा भी आवेदन स्वीकार कर सकेगा ।

78. बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना – बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थात् न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी ।

79. बैठकें – बोर्ड की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

80. बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां – (1) बोर्ड, धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए नब्बे दिन की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटान करने का प्रयास करेगा ।

(2) बोर्ड –

(क) धारा 14 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए ;

(ख) धारा 87 के अधीन अवयस्क की भर्ती को चुनौती देने वाले ;

(ग) धारा 89 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के अधीन समर्थित भर्ती को चुनौती देने वाले, किसी आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर करेगा ।

(3) बोर्ड, धारा 90 के अधीन समर्थित भर्ती को चुनौती देने वाले किसी आवेदन का निपटारा, आवेदनक के प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर करेगा ।

(4) बोर्ड, उपधारा (3) में निर्दिष्ट आवेदन से भिन्न किसी आवेदन का निपटारा आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा ।

(5) बोर्ड की कार्यवाहियां बंद कमरे में होगी ।

(6) बोर्ड, सामान्यतः सुनवाई का स्थगन नहीं करेगा ।

(7) किसी आवेदन के पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेंगे या अपनी पसंद के काउंसेल या प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेंगे ।

(8) बोर्ड, मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति से संबंधित किसी आवेदन के संबंध में ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में जहां ऐसा व्यक्ति भर्ती है, सुनवाई करेगा और कार्यवाहियों का संचालन करेगा ।

(9) बोर्ड, आवेदन में प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को मानसिक रूणता से ग्रस्त व्यक्ति और बोर्ड के अध्यक्ष की अनुज्ञा से सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(10) मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके मामले में सुनवाई की जा रही है, बोर्ड को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा करने की वांछा करता है, मौखिक साक्ष्य देने का अधिकार होगा ।

(11) बोर्ड को ऐसे अन्य साक्षियों की उपस्थिति और परिसाक्ष्यों की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो वह समुचित समझे ।

(12) मामले के पक्षकारों को किसी ऐसे दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसका किसी अन्य पक्षकार द्वारा बोर्ड को किए गए अपने निवेदनों में अवलम्ब लिया गया है वे उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे ।

(13) बोर्ड, सुनवाई के पूरी होने के पांच दिन के भीतर लिखित में पक्षकारों को अपने विनिश्चय की संसूचना देगा ।

(14) कोई सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष मामले में अंतर्वलित है, उस मामले के संबंध में सुनवाई के दौरान बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा ।

81. केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त किया जाना – (1)
केन्द्रीय प्राधिकरण, चिकित्सा व्यवसायियों और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख करने या उपचार का विनिश्चय करने के लिए व्यक्तियों के निर्धारण की प्रक्रियाएं जब आवश्यक हो या उनकी क्षमता अन्तर्विष्ट करते हुए, एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करेगा ।

(2) प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी और मानसिक स्वास्थ्य, वृत्तिक, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार हेतु विनिश्चय करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का निर्धारण करते समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज का पालन करेगा और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

82. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य – (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सभी या कोई विषय सम्मिलित होगा, अर्थात् :–

(क) किसी अग्रिम निदेश को रजिस्टर करना, उसका पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण करना या उसे रद्द करना ;

(ख) किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विनिश्चय के विरुद्ध मानसिक रूणता से ग्रस्त किसी व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त करना और उसका विनिश्चय करना ;

(घ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी सूचना को प्रकट न करने के संबंध में आवेदन प्राप्त करना और उनका विनिश्चय करना ;

(ङ) धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट देख-रेख और सेवाओं में कमियों के विषय में शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना ;

(च) कारगार या जेलों का दौरा और निरीक्षण करना और ऐसे कारगार या जेल में स्वास्थ्य सेवाओं के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना ।

(2) जहां बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण के ध्यान में यह लाया जाता है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ने मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, वहां बोर्ड या प्राधिकरण निरीक्षण और जांच कर सकेंगे तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्रवाई कर सकेंगे ।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, प्राधिकरण से परामर्श करके मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह समुचित समझे ।

(4) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन प्राधिकरण या बोर्ड के आदेशों या निदेशों का पालन नहीं करता है या जानबूझकर ऐसे आदेश या निदेश की उपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी और प्राधिकरण स्वयं या बोर्ड की सिफारिशों पर ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर सकेगा ।

83. प्राधिकरण या बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील -- प्राधिकरण या बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या स्थापन ऐसे विनिश्चय से तीस दिन की अवधि के भीतर उस राज्य के उच्च न्यायालय में, जिसमें बोर्ड अवस्थित है, अपील कर सकेगा :

परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था ।

84. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान – (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को, ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों का उपयोजन –

(क) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को चुकाने के लिए ;

(ख) बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को चुकाने के लिए ; और

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण और बोर्डों के, उनके कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय के लिए,

किया जाएगा ।

अंध्याय 12

भर्ती, उपचार और छुट्टी

85. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की भर्ती – (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “स्वतंत्र रोगी या कोई स्वतंत्र भर्ती” मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति की किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती को निर्दिष्ट करती है जो मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने में सक्षम है या जिसे विनिश्चय करने में अल्पतम सहायता की अपेक्षा है ।

(2) जहां तक संभव हो सके, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में सभी भर्तियां स्वतंत्र भर्तियां होगी सिवाय तब के जब ऐसी दशाएं विद्यमान हों, जो समर्थित भर्ती को अनिवार्य बनाती हैं।

86. स्वतंत्र भर्ती और उपचार – (1) कोई व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है और जो स्वयं को मानसिक रूग्णता से ग्रस्त समझता है और उपचार के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती होने की वांछा रखता है, स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक से स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती होने का अनुरोध कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर यदि चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का यह समाधान हो जाता है कि –

(क) कोई व्यक्ति ऐसी गंभीर मानसिक रूग्णता से ग्रस्त है जिससे उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना अपेक्षित है;

(ख) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती और उपचार से फायदा होने की संभावना है;

(ग) व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती की प्रकृति और प्रयोजन को समझ गया है और उसने किसी बाध्यता या अनुचित प्रभाव के बिना अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से भर्ती के लिए अनुरोध किया है और वह बिना किसी सहायता के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने में सक्षम है या उसे ऐसे विनिश्चय करने में दूसरों से अल्पतम सहायता की अपेक्षा है,

स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, ऐसे व्यक्ति को स्थापन में भर्ती करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, प्रस्तावित उपचार का प्रयोजन, प्रकृति और उसके संभावित परिणामों और उपचार को स्वीकार न करने के सम्भावित परिणाम को समझने में असमर्थ है या उसे विनिश्चय करने में लगभग शत-प्रतिशत तक अत्यधिक सहायता की अपेक्षा है, तो यह समझा जाएगा कि वह भर्ती के प्रयोजन को समझने में असमर्थ है और इसलिए उसे इस धारा के अधीन स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में एक स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के आदेश और अनुदेशों या उपविधियों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(5) किसी स्वतंत्र रोगी का उसकी सूचित सम्मति के बिना उपचार नहीं किया जाएगा।

(6) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन किसी स्वतंत्र रोगी को उसके स्वयं के अनुरोध पर भर्ती करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को व्यक्ति की भर्ती के लिए नामनिर्देशित प्रतिनिधि या नातेदार या देख-रेख कर्ता की सम्मति या उपस्थिति की अपेक्षा नहीं होगी।

(7) धारा 88 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र रोगी, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की सम्मति के बिना ऐसे स्थापन से स्वयं की छुट्टी करा सकेगा।

87. अवयस्क की भर्ती – (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क को, इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् ही भर्ती किया जाएगा।

(2) अवयस्क का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क की भर्ती के लिए स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी को आवेदन करेगा।

(3) ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक स्थापन में ऐसे अवयस्क को भर्ती कर सकेगा, यदि दो मनश्चिकित्सक या एक मनश्चिकित्सक और एक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या एक मनश्चिकित्सक और एक चिकित्सा व्यवसायी ने स्वतंत्र रूप से, भर्ती के दिन या पूर्ववर्ती प्राप्त सात दिन में अवयस्क की परीक्षा की है और दोनों का परीक्षा के आधार पर और यदि समूचित हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष है कि –

(क) अवयस्क ऐसी गंभीर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है जिससे उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) अवयस्क की इच्छाओं को, यदि अभिनिश्चय हो और इस विनिश्चय पर पहुंचने के लिए कारणों को ध्यान में रखते हुए भर्ती किया जाना उसके स्वास्थ्य, भलाई या सुरक्षा के बारे में, अवयस्क के सर्वोत्तम हित में होगा ;

(ग) अवयस्क की मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख की आवश्यकताएं तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक उसे भर्ती न किया जाए ; और

(घ) भर्ती के विकल्प के रूप में दर्शित किए गए समुदाय आधारित सभी विकल्प असफल हो गए हैं या वे अवयस्क की आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित होते हैं ।

(4) इस प्रकार भर्ती किए गए किसी अवयस्क को पृथक् रूप में ऐसे वातावरण में रखा जाएगा जो उसकी आयु और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो और उसमें कम से कम वही क्वालिटी होगी जो अन्य चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किए गए अन्य अवयस्कों को प्रदान की गई है ।

(5) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त कोई परिचारक, सभी परिस्थितियों में, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क की भर्ती की सम्पूर्ण अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क के साथ रहेगा ।

(6) ऐसी अवयस्क बालिकाओं की दशा में, जहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि पुरुष है, वहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा महिला परिचारक नियुक्त की जाएगी जो सभी परिस्थितियों में उसकी भर्ती की संपूर्ण अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क बालिका के साथ रहेगी ।

(7) अवयस्क का उपचार उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सूचित सम्मति के साथ किया जाएगा ।

(8) यदि इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि अवयस्क की भर्ती का और अधिक समर्थन नहीं करता है या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से अवयस्क की छुट्टी का अनुरोध करता है तो अवयस्क की मानसिक स्वास्थ्य स्थापन द्वारा छुट्टी कर दी जाएगी ।

(9) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क की भर्ती के बहत्तर घंटे की अवधि के भीतर संबद्ध बोर्ड को सूचित किया जाएगा ।

(10) संबद्ध बोर्ड को, यदि बोर्ड ऐसा करने की वांछा करता है, अवयस्क से मिलने और उससे साक्षात्कार करने या चिकित्सा अभिलेखों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा ।

(11) अवयस्क की किसी ऐसी भर्ती के बारे में, जो तीस दिन की अवधि के लिए जारी रहती है, संबद्ध बोर्ड को तत्काल सूचित किया जाएगा ।

(12) संबद्ध बोर्ड, सूचित किए जाने के सात दिन की अवधि के भीतर और प्रत्येक पश्चातवर्ती तीस दिन पर अवयस्कों की तीस दिन से अधिक जारी सभी भर्तियों का आजापक पुनर्विलोकन करेगा ।

(13) संबद्ध बोर्ड, कम से कम अवयस्क के नैदानिक अभिलेखों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक हो, अवयस्क का साक्षात्कार कर सकेगा ।

88. स्वतंत्र रोगियों की छुट्टी – (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, धारा 86 के अधीन भर्ती किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर या यदि व्यक्ति धारा 86 के अधीन अपनी भर्ती से असहमत है तो उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तत्काल स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी देगा ।

(2) जहां धारा 87 के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क को भर्ती किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उसके ठहरने के दौरान वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का

भारसाधक चिकित्सा अधिकारी उसे धारा 86 के अधीन एक स्वतंत्र रोगी के रूप में वर्गीकृत करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जो ऐसे स्वतंत्र रोगियों को लागू होते हैं जो अवयस्क नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे ।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि –

(क) ऐसा व्यक्ति अपने विनिश्चयों की प्रकृति और प्रयोजनों को समझने में असमर्थ है और उसे उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से महत्वपूर्ण या अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है; या

(ख) उसने हाल ही में स्वयं को शारीरिक अपहानि कारित करने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है या वह धमकी दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है ; या

(ग) उसने हाल ही में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया है या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है या कर रहा है; या

(घ) उसने हाल ही में स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है या कर रहा है, जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है,

तो कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक धारा 86 के अधीन स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में भर्ती किसी व्यक्ति की छुट्टी को चौबीस घंटे की अवधि के लिए रोक सकेगा जिससे 89 के अधीन भर्ती के लिए आवश्यक निर्धारण अनुज्ञात किया जा सके ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति को धारा 89 के अधीन सहायता प्राप्त रोगी के रूप में भर्ती किया जाएगा या उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर या धारा 89 के अधीन किसी सहायता प्राप्त रोगी की भर्ती के लिए निर्धारणों के पूरा होने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, स्थापन से छुट्टी दे दी जाएगी ।

89. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में तीस दिन तक अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती और उपचार (समर्थित भर्ती) – (1) इस धारा के अधीन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा आवेदन के आधार पर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को स्थापन में भर्ती करेगा, यदि –

(क) एक मनश्चिकित्सक और अन्य मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भर्ती के दिन या पूर्ववर्ती सात दिन में स्वतंत्र रूप से व्यक्ति की जांच की गई है और दोनों का, जांच के आधार पर, स्वतंत्र रूप से और, यदि समुचित हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष है कि व्यक्ति को ऐसी गंभीर मानसिक रूग्णता है कि ऐसे व्यक्ति ने –

(i) हाल ही में स्वयं को शारीरिक अपहानि कारित करने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है या वह धमकी दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है ; या

(ii) हाल ही में अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया है या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक अपहानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है या कर रहा है ; या

(iii) हाल ही में उसने स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है या कर रहा है, जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है ;

(ख) यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी, अग्रिम निदेश पर विचार करने के पश्चात् यदि कोई हो, यह प्रमाणित करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना ही सम्भावित न्यूनतम निर्बंधनात्मक देख-रेख विकल्प है ; और

(ग) व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में देख-रेख और उपचार प्राप्त करने के लिए अपात्र है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने में असमर्थ है और उसे विनिश्चय करने के लिए उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है ।

(2) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की भर्ती तीस दिन की अवधि तक सीमित होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन वर्णित अवधि की समाप्ति पर या पूर्वतर, यदि व्यक्ति उपधारा (1) में यथाकथित मानसिक भर्ती के मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो इस धारा के अधीन रोगी स्थापन में और अधिक नहीं रहेगा ।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के अवसान पर धारा 90 के उपबंधों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती रह सकेगा ।

(5) यदि धारा 90 के अधीन शर्त पूरी नहीं की जाती हैं तो व्यक्ति धारा 86 के अधीन एक स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बना रह सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसकी भर्ती की प्रास्थिति, जिसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से उसकी छुट्टी का अधिकार भी है, के बारे में सूचित करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को, --

(क) कोई अग्रिम निदेश, यदि कोई हो ; या

(ख) उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रोगी की, उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सहायता से सूचित सहमति,

पर विचार किए जाने के पश्चात् उपचार प्रदान किया जाएगा ।

(7) यदि इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति अपने उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से शत-प्रतिशत सहायता की अपेक्षा करता है तो नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्ति की ओर से उपचार योजना पर सहमति दे सकेगा ।

(8) उस दशा में, जहां सहमति उपधारा (7) के अधीन दी गई है, वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ऐसी सहमति को चिकित्सा अभिलेख में अभिलिखित करेगा और प्रत्येक सात दिन में रोगी की सहमति देने की क्षमता का पुनर्विलोकन करेगा ।

(9) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक सम्बद्ध बोर्ड को, --

(क) किसी महिला या किसी अवयस्क की भर्ती के तीन दिन के भीतर ;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जो महिला या अवयस्क नहीं है भर्ती के सात दिन के भीतर,

रिपोर्ट करेगा ।

(10) इस धारा के अधीन भर्ती कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति की सम्मति से सम्बद्ध बोर्ड को इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में व्यक्ति को भर्ती करने संबंधी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(11) संबंद्ध बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उस पर अपने निष्कर्ष देगा जो सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकर होंगे ।

(12) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस धारा के अधीन मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का लगातार पुनर्विलोकन करे ।

(13) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों लागू नहीं होती हैं तो वह इस धारा के अधीन भर्ती को समाप्त कर देगा और तदनुसार व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा ।

(14) उपधारा (13) में निर्दिष्ट शर्तों का लागू नहीं होना मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को स्वतंत्र रोगी के रूप में बने रहने से निवारित नहीं करेगा ।

(15) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को छुट्टी दिए जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति को उसकी छुट्टी की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस धारा के अधीन पुनः भर्ती नहीं किया जाएगा ।

(16) यदि उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को उस उपधारा में निर्दिष्ट सात दिन की अवधि के भीतर पुनः भर्ती किए जाने की अपेक्षा है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 90 के उपबंधों के अनुसार पुनः भर्ती किया गया माना जाएगा ।

(17) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को तीस दिन की अवधि के पश्चात् और उपचार की अपेक्षा है या संभाव्यता है कि और उपचार अपेक्षित है तो, ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, तीस दिन से अधिक के लिए भर्ती हेतु दो मनश्चिकित्सकों द्वारा जांच कराए जाने के लिए मामले को निर्दिष्ट करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा ।

90. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में तीस दिन की अवधि से अधिक अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती और उपचार (तीस दिन से अधिक समर्थित भर्ती) –(1) यदि धारा 89 के अधीन भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को तीस दिन से अधिक सतत भर्ती और उपचार की अपेक्षा है या उस धारा की उपधारा (15) के अधीन छुट्टी प्राप्त मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी छुट्टी के सात दिन के भीतर पुनः भर्ती की आवश्यकता है, तो उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार भर्ती किया जाएगा ।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के आवेदन पर मानसिक रूग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति की भर्ती जारी रखेगा, यदि –

(क) दो मनश्चिकित्सकों ने पूर्ववर्ती सात दिन में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की जांच की है और जांच के आधार पर और अन्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दोनों का स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष है कि व्यक्ति को ऐसी गंभीर मानसिक रूग्णता है कि उस व्यक्ति ने –

(i) कुछ समय से सतत रूप से स्वयं को शारीरिक अपहानि पहुंचाने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है ; या

(ii) कुछ समय से सतत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसक व्यवहार किया है या कुछ समय से सतत रूप से किसी अन्य व्यक्ति को, उसके द्वारा शारीरिक अपहानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है ; या

(iii) कुछ समय से सतत रूप से स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है कि जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है ;

(ख) दोनों मनश्चिकित्सक किसी अग्रिम निदेश, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह प्रमाणित करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना ही, देख-रेख का न्यूनतम निर्बंधनात्मक विकल्प है ;

(ग) व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में देख-रेख और उपचार प्राप्त करने के लिए इसलिए अपात्र बना रहता है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तथा उसे अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से विनिश्चय करने के लिए अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है ।

(4) बोर्ड, इस धारा के अधीन मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की अंतिम भर्ती या पुनः भर्ती की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी भर्ती या पुनः भर्ती की अनुज्ञा देगा या ऐसे व्यक्ति की छुट्टी का ओदश करेगा ।

(5) बोर्ड, उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्ति की भर्ती या पुनः भर्ती को अनुज्ञात करते समय या उसकी छुट्टी का आदेश करते समय –

(क) ऐसे व्यक्ति की संस्थागत देख-रेख की आवश्यकता ;

(ख) क्या ऐसी देख-रेख समुदाय में अल्प-निर्बद्धनात्मक स्थितियों के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, की जांच करेगा ।

(6) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की पुनः भर्ती किए जाने या भर्ती को जारी रखने संबंधी आवेदन के सभी मामलों में बोर्ड, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति के उपचार का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक से समुदाय आधारित उपचार की योजना और इस योजना को पूरा करने में की गई प्रगति या की जाने वाले संभावित प्रगति की योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(7) उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बने रहने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसमें उसे भर्ती किया गया था या ऐसे स्थापन में उसकी पुनः भर्ती केवल ऐसे स्थान पर, जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, समुदाय आधारित सेवाओं के न होने के आधार पर की गई थी ।

(8) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की भर्ती पहली बार नब्बे दिन की अवधि के लिए सीमित होगी ।

(9) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए भर्ती को पहली बार एक सौ बीस दिन की अवधि के लिए और तत्पश्चात् उपधारा (1) से उपधारा (7) के उपबंधों का पालन करने के पश्चात् प्रत्येक समय एक सौ अस्सी दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(10) यदि बोर्ड उपधारा (9) के अधीन या उपधारा (9) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भर्ती करने या उसे जारी रखने या पुनः भर्ती करने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है या उससे पूर्व यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भर्ती के मानदंड के भीतर नहीं आता है तो ऐसे आता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी दे दी जाएगी ।

(11) इस धारा के अधीन मानसिक रूग्णता से ग्रस्त भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को, --

(क) कोई अग्रिम निदेश; या

(ख) उपधारा (12) के अधीन रहते हुए उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सहायता से व्यक्ति की संसूचित सहमति,

पर विचार किए जाने के पश्चात् उपचार प्रदान किया जाएगा ।

(12) यदि इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति अपने उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से शत-प्रतिशत सहायता की अपेक्षा करता है तो नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति की ओर उसकी उपचार योजना पर अस्थायी रूप से सहमति दे सकेगा ।

(13) उस दशा में जहां उपधारा (12) के अधीन सहमति दी गई है, वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ऐसी सहमति को मानसिक रूग्णता से ग्रस्त उस व्यक्ति के चिकित्सा अभिलेखों में अभिलिखित करेगा और ऐसे व्यक्ति की सहमति देने की क्षमता का प्रत्येक पंद्रह दिन की समाप्ति पर पुनर्विलोकन करेगा ।

(14) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति की सम्मति से संबद्ध बोर्ड को, इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य

स्थापन में व्यक्ति को भर्ती करने संबंधी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(15) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि मानसिक स्वास्थ्य के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन शर्तें लागू नहीं होती हैं तो ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, ऐसे व्यक्ति की ऐसे स्थापन से छुट्टी कर देगा और तदनुसार उस व्यक्ति को तथा उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा ।

(16) उपधारा (15) में निर्दिष्ट मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बना रह सकेगा ।

91. अनुपस्थिति की इजाजत – मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन भर्ती, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि के लिए जो ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक आवश्यक समझे, स्थापन से अनुपस्थित रहने की इजाजत दे सकेगा ।

92 इजाजत या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति – यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 103 लागू होती है मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से इजाजत या छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के अनुरोध पर पुलिस अधिकारी द्वारा संरक्षा में ले लिया जाएगा और उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में वापस भेज दिया जाएगा ।

93. मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों का एक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से दूसरे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को स्थानांतरण -- (1) यथास्थिति, धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 या धारा 103 के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किसी व्यक्ति को, बोर्ड के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से ले जाया जा सकेगा और राज्य के भीतर किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या केन्द्रीय प्राधिकरण की सहमति से किसी अन्य राज्य के किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जा सकेगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में दिए गए किसी आदेश के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को अंतरण की संसूचना और उसके कारण नहीं बता दिए गए हों ।

(2) राज्य सरकार, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी बंदी को उस स्थान से जहां तत्समय उसे निरुद्ध किया गया है, किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या राज्य में सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में या किसी अन्य राज्य में उस अन्य राज्य की सरकार की सहमति से किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाए जाने का निदेश देने वाला ऐसा साधारण या विशेष आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

94. आपात उपचार – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को किसी स्वास्थ्य स्थापन में या समुदाय में, कोई चिकित्सा उपचार, जिसके अंतर्गत मानसिक रूग्णता के लिए उपचार भी है, नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की, जहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि उपलब्ध है, सूचित सहमति के अधीन रहते हुए और वहां उपलब्ध कराया जा सकेगा, जहां वह, --

(क) व्यक्ति की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य की अनुत्क्रमणीय क्षति को ; या

(ख) व्यक्ति द्वारा स्वयं को या अन्य व्यक्तियों को गंभीर क्षति पहुंचाने से ; या

(ग) व्यक्ति को, जहां उस व्यक्ति की मानसिक रूग्णता से प्रत्यक्षत : उत्पन्न ऐसे व्यवहार का विश्वास किया जाता है, उसकी स्वयं की या अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाने से,

रोकने के लिए तुरंत आवश्यक है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए “आपात उपचार” में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का निर्धारण के लिए किसी नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में परिवहन सम्मिलित है।

(2) इस धारा की कोई बात किसी चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक को मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को ऐसा चिकित्सा उपचार देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगी, जो उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आपात उपचार से प्रत्यक्षः संबंधित नहीं है।

(3) इस धारा की कोई बात किसी चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक को उपचार के रूप में वैयुत-संक्षोभजनक चिकित्सा के उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं करेगी।

(4) इस धारा में निर्दिष्ट आपात उपचार बहत्तर घंटे तक या मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निर्धारण किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सीमित होगा :

परंतु यह कि समुचित सरकार द्वारा घोषित आपदा या आपात स्थिति के दौरान इस उपधारा में निर्दिष्ट आपात उपचार की अवधि को सात दिन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

95. प्रतिषिद्ध प्रक्रियाएं – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित उपचारों का उपयोग नहीं किया जाएगा –

(क) मांसपेशी शिथिल किए बिना और बेहोशी का उपयोग किए बिना वैयुत-संक्षोभजनक चिकित्सा;

(ख) अवयस्कों की वैयुत-संक्षोभजनक चिकित्सा ;

(ग) पुरुषों या स्त्रियों का बन्ध्याकरण, जब ऐसा बन्ध्याकरण मानसिक रूग्णता के उपचार के रूप में आशयित हो ;

(घ) किसी रीति या रूप में, चाहे जो भी हो, जंजीर से बांधना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अवयस्क के उपचार के भारसाधक मनश्चिकित्सक की राय में वैयुत-संक्षोभजनक चिकित्सा अपेक्षित है तो ऐसा उपचार संरक्षक की सूचित सहमति और संबंधित बोर्ड की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा।

96. मानसिक रूग्णयता से ग्रस्त व्यक्तियों की मनोशल्य चिकित्सा पर निर्बंधन – (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक रूग्णता के उपचार के रूप में मनोशल्य चिकित्सा का उपयोग तक तब नहीं किया जाएगा जब तक कि

—

(क) उस व्यक्ति की, जिस पर शल्य चिकित्सा की जानी है, सूचित सहमति ; और

(ख) संबंधित बोर्ड से शल्य चिकित्सा करने का अनुमोदन,

प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण इस धारा के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा।

97. अवरोध और एकान्तता – (1) मानसिक रूग्णताग्रस्त किसी व्यक्ति को एकान्तता या एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा और जहां आवश्यक हो, भौतिक अवरोध का केवल तभी उपयोग किया जा सकेगा जब, --

(क) संबद्ध व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की आसन्न और तत्काल अपहानि को रोकने का केवल एकमात्र साधन यही है ;

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में व्यक्ति के उपचार के भारसाधक मनश्चिकित्सक द्वारा इसे प्राधिकृत किया गया है।

(2) भौतिक अवरोध का उपयोग उस अवधि से अधिक के लिए नहीं किया जाएगा जो महत्वपूर्ण अपहानि के तत्काल जोखिम के निवारण के लिए आत्यंतिक रूप से आवश्यक हो ।

(3) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अवरोध की पद्धति, प्रकृति, उसके अधिरोपण की न्यायोचितता और अवरोध की अवधि को व्यक्ति के चिकित्सा टिप्पणी में तुरंत अभिलिखित किया जाए ।

(4) किसी भी परिस्थिति में अवरोध का उपयोग दंड या भयोपरतिकारी के रूप में नहीं किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अवरोध का उपयोग ऐसे स्थापन में केवल कर्मचारिवृद्ध की कमी के आधार पर नहीं करेगा ।

(5) मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को चौबीस घंटे की अवधि के भीतर अवरोध के प्रत्येक प्रक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे अवरुद्ध किया गया है, ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां वह स्वयं को या अन्य व्यक्तियों को कोई क्षति न पहुंचा सके और उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के चिकित्सा कार्मिक के नियमित निरंतर पर्यवेक्षण में रखा जाएगा ।

(7) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, संबंधित बोर्ड को मानसिक आधार पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में अवरोध के सभी प्रक्रमों को सम्मिलित करेगा ।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण इस धारा के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा ।

(9) बोर्ड, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अवरोध लागू करने से प्रविरत रहने का आदेश कर सकेगा, यदि बोर्ड की यह राय है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन सतत रूप से और जानबूझकर इस धारा के उपबंधों की अवज्ञा कर रहा है ।

98. छुट्टी की योजना – (1) जब कभी किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रूग्णता के उपचाराधीन किसी व्यक्ति को समुदाय में या किसी भिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए छुट्टी दी जानी है या जहां किसी नए मनश्चिकित्सक ने व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी ले ली है, वहां वह मनश्चिकित्सक, जो व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के लिए जिम्मेदार है, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, कुटुंब के ऐसे सदस्य या देख-रेख कर्ता से, जिसके पास मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् निवास करेगा, भविष्य में व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के लिए जिम्मेदार मनश्चिकित्सक से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो समुचित हों, इस बारे में परामर्श करेगा कि उस व्यक्ति के लिए कौन-सा उपचार या सेवाएं समुचित होंगी ।

(2) व्यक्ति की देख-रेख के लिए जिम्मेदार मनश्चिकित्सक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के परामर्श से यह सुनिश्चित करेगा कि इस बारे में एक योजना विकसित की जाए कि मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को कैसा उपचार या सेवाएं दी जाएंगी ।

(3) इस धारा के अधीन छुट्टी की योजना किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी किए गए सभी व्यक्तियों को लागू होगी ।

99. अनुसंधान – (1) अनुसंधान करने वाले सभी वृत्तिक, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों से किसी ऐसे अनुसंधान में भाग लेने के लिए जिसमें व्यक्ति का साक्षात्कार या मनोवैज्ञानिक, भौतिक, रासायनिक या औषधीय मध्यक्षेप अंतर्वलित हैं, स्वतंत्र और सूचित सहमति प्राप्त करेंगे ।

(2) ऐसे किसी अनुसंधान की दशा में, जिसमें, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो स्वतंत्र और सूचित सहमति देने में असमर्थ है किन्तु जो ऐसे अनुसंधान में भाग लेने का प्रतिरोध नहीं करता है, कोई मनोवैज्ञानिक, भौतिक, रासायनिक या औषधीय मध्यक्षेप अंतर्वलित हैं, ऐसा अनुसंधान करने की अनुज्ञा संबंधित राज्य प्राधिकरण से अभिप्राप्त की जाएगी ।

(3) राज्य प्राधिकरण, मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से अभिप्राप्त सूचित सहमति के आधार पर अनुसंधान को मंजूर कर सकेगा, यदि राज्य प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि, --

(क) प्रस्तावित अनुसंधान उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता है जो स्वतंत्र और सूचित सहमति देने में समर्थ हैं ;

(ख) प्रस्तावित अनुसंधान व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही जनसंख्या के मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए आवश्यक है ;

(ग) प्रस्तावित अनुसंधान का प्रयोजन मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से संगत जान अभिप्राप्त करना है ;

(घ) प्रस्तावित अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के हितों का पूर्ण प्रकटन किया गया है और उसमें हितों का द्वंद्व अंतर्वलित नहीं है; और

(ङ) प्रस्तावित अनुसंधान में ऐसा अनुसंधान करने में सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों और संबंधित विनियमों का पालन किया गया है तथा जहां ऐसा अनुसंधान किया जाना है वहां की नीति विषयक समिति से नैतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

(4) इस धारा के उपबंध कसी ऐसे व्यक्ति के, जो सूचित सहमति देने में असमर्थ है, स्वास्थ्य संबंधी दशा के टिप्पणी के अध्ययन पर आधारित अनुसंधान को तब तक निर्बंधित नहीं करेंगे, जब तक व्यक्तियों के नाम की अनामिकता सुरक्षित है ।

(5) मानसिक रूग्णताग्रस्त व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसंधान में भाग लेने की सूचित सहमति प्रदान की है, अनुसंधान की अवधि के दौरान किसी भी समय सहमति को वापस ले सकेगा ।

अध्याय 13

अन्य अभिकरणों के उत्तरदायित्व

100. मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की बाबत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य – (1) किसी पुलिस थाने के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह, --

(क) पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर स्वच्छंद विचरण करते पाए जाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में ले जिसके प्रति अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति मानसिक रूग्णता से ग्रस्त है और स्वयं की देख-रेख करने में असमर्थ है ; या

(ख) पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में ले जिसके प्रति अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति मानसिक रूग्णता के कारण स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए जोखिम है ।

(2) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिया गया है या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को, यदि अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति को उन आधारों को समझने में कठिनाई होगी, ऐसी संरक्षा में उसे लिए जाने के आधार सूचित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यथासंभव शीघ्र किन्तु संरक्षा में लिए जाने के चौबीस घंटे के भीतर व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए नजदीक के लोक स्वास्थ्य स्थापन में ले जाया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिए गए किसी भी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में पुलिस लॉक अप या कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा ।

(5) लोक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होगा और मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की आवश्यकताओं पर विशिष्ट परिस्थितियों में यथा लागू इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ध्यान दिया जाएगा ।

(6) लोक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का, यदि व्यक्ति के निर्धारण पर यह निष्कर्ष है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रकृति या डिग्री की कोई मानसिक रुग्णता नहीं है जिसमें उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती करना अपेक्षित है, वह अपने निर्धारण की सूचना उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसने उस व्यक्ति को संरक्षा में लिया था और पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर या बेघर व्यक्तियों की दशा में बेघर व्यक्तियों के किसी सरकारी स्थापन में ले जाएगा ।

(7) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो बेघर है या जो समुदाय में स्वच्छंद विचरण करते हुए पाया जाता है, गुमशुदा व्यक्ति की प्रथम इतिलाइरिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाई की जाएगी और थाना अधिकारी का ऐसे व्यक्ति के कुटुंब का पता लगाने का और उसके कुटुंब को व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सूचित करने का कर्तव्य होगा ।

101. प्राइवेट निवास स्थान में के मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जिससे बुरा बर्ताव किया जाता है या जिसकी उपेक्षा की जाती है, की मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट – (1) पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर निवास करने वाला कोई व्यक्ति मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उपेक्षा की जाती है, तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है, इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए जिम्मेदार है उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है इस तथ्य की रिपोर्ट उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करा सकेगा और धारा 102 के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित कर सकेगा ।

102. मजिस्ट्रेट द्वारा मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवहण या भर्ती करना --
(1) जब मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे मानसिक रुग्णता हो सकती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट, --

(क) लिखित आदेश कर सकेगा कि व्यक्ति को निर्धारण और उपचार के लिए किसी लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में ले जाया जाए, यदि आवश्यक हो और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस व्यक्ति के साथ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यवहार करेगा ; या

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन वृत्तिक को, उस व्यक्ति का निर्धारण करने और आवश्यक उपचार, यदि कोई हो, की योजना बनाने हेतु समर्थ बनाने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में ऐसी अवधि के लिए जो दस दिनों से अधिक की नहीं होगी, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की भर्ती को प्राधिकृत करने के लिए लिखित आदेश कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण की अवधि के पूरा होने पर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन वृत्तिक, मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा ।

103. मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बंदी –(1) बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) की धारा 30 के अधीन या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 144 के अधीन या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 145 के अधीन या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 143 या धारा 144 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 330 या धारा 335 के अधीन कोई आदेश जिसमें मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी बंदी को किसी उपयुक्त मानसिक

स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती करने का निदेश दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थापन में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को उसमें देख-रेख और उपचार के लिए विधिपूर्वक अंतरित किया जा सकता है, भर्ती किए जाने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा :

परंतु कारागार के चिकित्सा खंड में के मनश्चिकित्सीय वार्ड में मानसिक रूग्णता ग्रस्त किसी बंदी का अंतरण, इस धारा के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा :

परंतु यह और कि जहां चिकित्सा खंड में मनश्चिकित्सीय वार्ड का कोई उपबंध नहीं है, वहां बंदी को बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अंतरित किया जा सकेगा ।

(2) ऐसी पद्धति, रीतियां और प्रक्रिया, जिनके द्वारा इस धारा के अधीन किसी बंदी के अंतरण को प्रभावी किया जाएगा, वे होंगी, जो विहित की जाएं । को बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अंतरित किया जा सकेगा ।

(3) किसी कारगार या जेल का चिकित्सा अधिकारी, संबंधित बोर्ड को यह प्रमाणित करते हुए कि कारगार या जेल में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त कोई बंदी नहीं है, एक ट्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा ।

(4) बोर्ड, कारगार या जेल का दौरा कर सकेगा और चिकित्सा अधिकारी से यह पूछ सकेगा कि मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी बंदी, यदि कोई है, को कारगार या जेल में क्यों रखा गया है और उसे उपचार के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अंतरित क्यों नहीं किया गया है ।

(5) किसी ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निरूद्ध किया गया है, प्रत्येक छह मास में एक बार ऐसे प्राधिकारी को, जिसके आदेश के अधीन ऐसा व्यक्ति निरूद्ध किया गया है, उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट देगा ।

(6) समुचित सरकार, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में कम से कम एक कारगार के चिकित्सा खंड में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की स्थापना करेगी और मानसिक रूग्णता से ग्रस्त बंदियों को साधारणतया उक्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निर्दिष्ट किया जाएगा और उनमें उनकी देख-रेख की जाएगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन स्थापित मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह ऐसे मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा, जो विहित किए जाएं ।

104. अभिरक्षणीय संस्थाओं में व्यक्ति -- (1) यदि राज्य द्वारा चलाई जा रही अभिरक्षणीय संस्था (जिसके अंतर्गत भिक्षुक गृह, अनाथालय, महिला संरक्षण गृह और बालक गृह भी हैं) के भारसाधक व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि संस्था का कोई निवासी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त है या उसके मानसिक रूग्णता से ग्रस्त होने की संभावना है तो वह संस्था के ऐसे निवासी को निर्धारण और उपचार के लिए, जैसा कि आवश्यक हो, समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ले जाएगा ।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, मानसिक रूग्णताग्रस्त व्यक्ति के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित उपचार का विनिश्चय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

105. न्यायिक प्रक्रिया में मानसिक रूग्णता का प्रश्न – यदि किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मानसिक रूग्णता का सबूत प्रस्तुत किया जाता है और अन्य पक्षकार द्वारा उसे चुनौती दी जाती है तो न्यायालय उसे और संवीक्षा के लिए संबद्ध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा और बोर्ड, स्वयं या विशेषज्ञों की समिति द्वारा उस व्यक्ति का जिसके बारे में मानसिक रूग्णता से ग्रस्त होना अभिकथित है, परीक्षण करने के पश्चात् न्यायालय को अपनी राय देगा ।

106. वृत्तिकों द्वारा उनकी वृत्ति के अधीन न आने वाले कृत्यों का निर्वहन करने पर निर्बंधन – कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी ऐसे किसी कृत्य का निर्वहन नहीं करेगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिसे इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है या ऐसी किसी औषध या उपचार को विनिर्दिष्ट या सिफारिश नहीं करेगा जो उसकी वृत्ति के क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत नहीं है ।

अध्याय 15

अपराध और शास्तियां

107. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित करने या चलाए जाने के लिए शास्तियां -- (1) जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन चलाएगा, वह ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो पहले उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो दूसरे उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी शास्ति का, जो दो लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की हैसियत में सेवा करेगा, वह शास्ति का, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस धारा के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(4) जो कोई शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहेगा, राज्य प्राधिकरण, उस जिले के कलक्टर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार या वृत्ति चलाता है या जहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अवस्थित है, वह आदेश अग्रेषित कर सकेगा और कलक्टर, ऐसे व्यक्तियों या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे वसूल करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(5) इस अध्याय के अधीन शास्तियों के रूप में वसूली गई सभी राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

108. अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड – कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह पहले उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

109. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा

निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, --

- (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ;
और
(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

110. जानकारी मांगने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण या बोर्ड से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा आवधिक रूप से या जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा संपादित उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उस सरकार को समर्थ बनाने हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या बोर्ड से साधारण या विशेष आदेश द्वारा आवधिक रूप से या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, राज्य प्राधिकरण या आयोग या बोर्ड द्वारा संपादित कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उस सरकार को समर्थ बनाने हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।
